न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 50 / 2015 (बांसवाड़ा डिक्री)

देवीलाल पिता श्री रामनारायण, जाति महाजन, निवासी छींच, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार, बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा
दिनांक 22.06.2015 प्र.सं. 58 / 2008

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट
2– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णय दिनांक 15–11–2017

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी / अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी / रेस्पोन्डेन्ट सरकार के विरूद्ध एक वाद इन्द्राज दुरस्ती एवं खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी की आराजी नंबर 4025 / 721, 731 व 55 किता 3 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि ग्राम छींछ में स्थित होकर जमाबन्दी संवत् 2028 से 2031 में अंकित है, जिसकी संवत् 2035 से 2038 में प्रविष्टि करते समय वादी के पिता की मृत्यु होने पर गलती से वादी के आराजी नंबर 4025 / 720, 721, 50 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा दर्ज कर दिया गया है, जो बंटवाड़े से किया गया है। वादी का कब्जा काश्त है। वादग्रस्त भूमि का तुलनात्मक नंबर जारी नहीं हुआ है जो जारी किया जाना आवश्यक है। अतएवं तुलनात्मक नंबर जारी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकियात कायम की गयी तथा

प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 22–06–2015 से वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 18–10–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सूचना दिये प्रकरण लोक अदालत में रखकर निर्णय पारित कर दिया है, जबकि प्रकरण में कायम की गयी तनकियात पर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। राजस्व लोक अदालतों में आपसी सहमति एवं राजीनामें के आधार पर ही निर्णय किये जाते हैं, जिसे अधिनस्थ न्यायालय न अनदेखा कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 17–08–2015 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील समय सीमा में प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

→ अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को सूचना पत्र जारी किये जाने पर उनकी ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों एवं तथ्यों का उचित अवलोकन नहीं किया गया है तथा बिना अवलोकन किये एकपक्षीय निर्णय कर दिया है। अपीलान्ट ने दस्तावेजी साक्ष्य के अलावा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये, जिसकी जिरह के लिए प्रकरण नियत था, परन्तु रेस्पोन्डेन्ट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में एकपक्षीय निर्णय कर दिया है, जिसमें अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है।

भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गयी त्रुटि पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि इस प्रकरण में तनकियात कायम की गयी हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अत्यन्त सरसरी निर्णय पारित किया है तथा प्रकरण में वादी की साक्ष्य की जिरह बिना आधार के बन्द कर दिया है। प्रकरण में तनकीवार निर्णय जो पारित किया गया है, उसमें उपलब्ध साक्ष्यों का औयित्य पूर्ण विवेचन नहीं किया है। प्रकरण में उचित यह होता कि उभयपक्षों को सुनवाई का एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर निर्णय किया जाना वांछनीय था तथा वादी की मांग के सन्दर्भ में भू–प्रबन्ध विभाग से भी रिपोर्ट मंगवाई जाकर इस प्रकरण का विधिक एवं नातिक निर्णय किया जाना अपेक्षित था। इसके स्थान पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण बिना राजीनामें एवं सहमति के लोक अदालत में रखकर अपीलान्ट/वादी को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा पक्षकारों की साक्ष्य लिये बिना अत्यन्त सरसरी निर्णय कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–06–2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हमारे द्वारा उपर किये गये आब्जरवेशन के सन्दर्भ में वादी एवं प्रतिवादी की पुनः साक्ष्य लेकर प्रकरण में कायम की गयी तनकियात का विधिवत विवेचन कर तनकीवार निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 15–01–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 15–11–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

देवचन्द पिता लसा, जाति भील, नि0 सेरावाला, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा बनाम **कपरा पिता नाथु, जाति भील, नि0 सेरावाला, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**189 / 2011**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**बागीदौरा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....03**.....माह.....**11**.....**2010**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**....माह.....**.11**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी....**श्री जयेन्द्र पुरोहित**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री महेन्द्र कुमार गांधी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–11–2010 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**.11**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।